विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 209/वि0स0/संसदीय/109(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री गया चरण दिनकर, नेता, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री बाला प्रसाद अवस्थी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 01 अगस्त, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री बाला प्रसाद अवस्थी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका पर

निर्णय

1. श्री गया चरण दिनकर, नेता, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत श्री बाला प्रसाद अवस्थी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में याची का यह कथन है कि विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी, विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, जनपद–लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के लिए वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में दिनांक 06 मार्च, 2012 को विधायक चुने गये थे तथा श्री बाला प्रसाद अवस्थी तभी से उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल के सदस्य बन गये। बहुजन समाज पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रार्थी दलीय सूची में विपक्षी का नाम बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप मे दर्ज है।

3. याची का अभिकथन है कि विपक्षी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के समक्ष बहुजन समाज पार्टी छोड़े जाने के सन्दर्भ में बयान दिये गये और बहुजन समाज पार्टी तथा उसके शीर्ष नेतृत्व के विरोध में बयान दिये गये। याची के अनुसार विपक्षी का यह बयान इलेक्ट्रानिक मीडिया के लगभग सभी न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ। विपक्षी द्वारा इसके उपरान्त समय–समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की गयीं।

4. याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा बसपा से अलग होने के उपरान्त अपने निवास लखीमपुर के बोर्ड में अपने नाम को भाजपा के झण्डे के चिन्ह एवं चुनाव चिन्ह के साथ लिखा हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि विपक्षी द्वारा बसपा छोड़ने के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली गयी। इसके अतिरिक्त विपक्षी दिनांक 27 जून, 2016 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा बाराबंकी में सम्बोधित सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, जिसकी खबर दिनांक 15 जुलाई, 2016 के अमर उजाला समाचार–पत्र के संस्करण पर प्रकाशित की गयी।

5. याची ने इस पर बल दिया है कि विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। विपक्षी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 27 जून, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दिया गया है। अतः वह दिनांक 27 जून, 2016 से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो चुके हैं।

6. याची द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2016 को अपने पूरक प्रार्थना पत्र में अभिकथित किया कि याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, श्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष विभिन्न पार्टियों के कई अन्य विधायकों के साथ भाजपा की विधिवत् सदस्यता ग्रहण की जिसकी खबर को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रसारित की गयी एवं सभी समाचार–पत्रों में दिनांक 12 अगस्त, 2016 को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। जिसके प्रमाण स्वरूप विभिन्न समाचार–पत्रों में छपी खबर की छाया प्रतियां सलंग्न की गयी हैं।

7. याची के अनुसार विपक्षी को अपने मूल राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी को त्याग देने के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना यह सिद्ध करता है कि उनके द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल का त्याग किया गया है।

8. अन्त में श्री गया चरण दिनकर, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–7 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेते हुये भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के सपठित अनुच्छेद–191(2) के अधीन विधान सभा की सदस्यता दिनांक 27 जून, 2016 से निरर्ह घोषित किया जाये एवं यह भी घोषित किया जाये कि वह दिनांक 27 जून, 2016 से विधान सभा सदस्य के रूप में किसी भी सुविधा, भत्ता आदि हेतु अर्ह नहीं रहेंगे।

9. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबन्धों को भी प्रमाणित किया गया है।

10. विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अगस्त, 2016 को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने हार्ट सम्बन्धी बीमारी के ठीक होने तक पर्याप्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। मा0 अध्यक्ष द्वारा न्यायहित मे याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

11. दिनांक 13 सितम्बर, 2016 की सुनवाई मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपरिहार्य कारणो से स्थगित करते हुये दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को सुनवाई की अगली तिथि नियत की गयी।

12. विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को यह अवगत कराया कि विगत वर्ष उनका हार्ट अटैक हुआ था तथा मेदान्ता मेडीसिटी गुड़गाँव में ओपन हार्ट सर्जरी हुई तब से लगातार इलाज चलने के कारण उन्हें इलाज कराने व विधिक राय लेने का मेडिकल ग्राउण्ड पर 2 माह का समय दिया जाये।

13. दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को सुनवाई के समय विपक्षी के प्रार्थना पत्र एवं उनके अनुरोध को सुनने के उपरान्त न्यायहित में सुनवाई की अगली तिथि 17 अक्टूबर, 2016 को नियत की गयी।

14. दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 की नियत तिथि को अध्यक्ष विधान सभा द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे सुनवाई की अगली तिथि नियत की गयी।

15. दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को होने वाली याचिका पर सुनवाई के सम्बन्ध में विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी के दिनांक 02 नवम्बर, 2016 के प्रार्थना–पत्र का संज्ञान लेते हुये मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 18 नवम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

16. विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी के दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के प्रार्थना–पत्र का संज्ञान लेते हुए मा0 अध्यक्ष द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान विपक्षी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये अगली तिथि दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

17. विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को अपने प्रार्थना–पत्र में कहा कि याची द्वारा प्रस्तुत संलग्नक में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि विपक्षी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी से त्याग–पत्र दे दिया है तथा संलग्नक–2 में विपक्षी का कथन स्वस्थ आलोचना है जो दल–विरोधी नहीं है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि उसे संविधान के अनुच्छेद–19 के अन्तर्गत यह मूल अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विचारों को स्वस्थ रूप से व्यक्त कर सकता है।

18. विपक्षी द्वारा कहा गया कि यह सूचना दी गयी कि उसे दल की सदस्यता से पृथक कर दिया गया है। अतः विपक्षी को बहुजन समाज पार्टी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् निर्दलीय सदस्य माना जायेगा। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उ0प्र0 विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निहर्रता) नियमावली 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल के नेता का यह दायित्व है कि विपक्षी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को अवगत करायें तथा

याची द्वारा विपक्षी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र समाचार–पत्रों के कतरनों से यह याची सिद्ध नहीं कर सकता कि विपक्षी ने किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

19. अन्त में विपक्षी श्री अवस्थी द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी ने न तो स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता का त्याग किया है और न ही बहुजन समाज पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की है। अतः संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद–2(1)(क) अथवा (ख) के अर्न्तगत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।

20. दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई में विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र राय का हार्निया का आपरेशन होने के कारण एक और अवसर प्रदान किया जाय। मा0 अध्यक्ष द्वारा याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

21. दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 की सुनवाई मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये दिनांक 20 दिसम्बर, को अपराह्न 4.30 बजे सुनवाई की अगली तिथि नियत की गयी।

22. याची श्री गया चरण दिनकर द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को विपक्षी के प्रतिवाद के प्रतिउत्तर में विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी के इस कथन का खण्डन किया गया कि वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुये हैं। विपक्षी द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता विधिवत ग्रहण कर ली है। इस तथ्य का उल्लेख याची द्वारा एक पूरक प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसका उत्तर प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया।

23. विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी ने अपने मूल राजनैतिक दल को स्वेच्छा से त्याग कर अन्य राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है अतः विपक्षी दिनांक 27 जून, 2016 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो गये हैं। अतः याची द्वारा निवेदन किया गया है कि विपक्षी को दिनांक 27 जून, 2016 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाये।

24. दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई के समय विपक्षी श्री अवस्थी द्वारा कहा गया कि जो आरोप उन पर लगाये गये उसका उत्तर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया है तथा याची की ओर से प्रतिउत्तर में जो आरोप लगाये गये हैं उसको उनके अधिवक्ता को पढ़ने का समय दिया जाए और विपक्षी को अपनी बात कहने का एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जाय। मा0 अध्यक्ष द्वारा याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

25. 27 दिसम्बर, 2016 उभयपक्षों को अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त याचिका पर सुनवाई पूरी हुई।

26. मैने पत्रावली पर सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। याची द्वारा प्रतिपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी के विरुद्ध मुख्य रूप से

इस आधार पर निरर्हता का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी है तथा प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है। याची द्वारा याचिका के प्रस्तर–7 में यह कहा गया है कि विपक्षी श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के बूथ के अध्यक्ष सम्मेलन जो कि दिनांक 27 जून, 2016 को बाराबंकी में हुआ था, में प्रतिभाग किया गया था। जिस अधार पर श्री अवस्थी को 27 जून, 2016 से निरर्ह करने का अनुरोध किया गया है। याचिका के साथ संलग्न सी0डी0 एवं साक्ष्य में जो समाचार–पत्रों की छायाप्रति संलग्न की गयी है, उसमें 27 जून, 2016 का उल्लेख नहीं है। पत्रावली के अवलोकन में मैंने यह पाया कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से सम्बन्धित समाचार 12 अगस्त, 2016 के समाचार–पत्रों में छपा है, जिससे यह स्पष्ट है कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी 11 अगस्त, 2016 को अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख सदस्यता ग्रहण कर ली है।

27. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के सन्दर्भ में **'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

28. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अन्तर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है :–

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

30. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं :–

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

31. प्रतिपक्षी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया था। अतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त भी वह निरर्हता से ग्रसित नहीं माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय अध्यक्ष तमिलनाडु, विधान सभा [1996(2)एस0एस0सी0 353] एवं अन्य में स्पष्ट विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए यह अवधारित किया है कि निष्कासन के पश्चात् भी यदि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से भिन्न किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसके सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्रावधान आकर्षित होंगे एवं यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट है :–

"It appears that since the explanation to para 2 (1) of the Tenth Schedule provides that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he

was set up as a candidate for election as such member, such person so set up as a candidate and elected as a member, shall continue to belong to that party. Even if such a member is thrown out or expelled from the party, for the purposes of the Tenth Schedule he will not cease to be a member of the political party that had set him up as a candidate for the election. He will continue to belong to that political party even if he is treated as 'unattached'. The further question is when does a person "voluntarily give up" his membership of such political party, as provided in para 2(1)(a)? The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied. When a person who has been thrown out or expelled from the party which set him up as a candidate and got elected, joins another (new) party, it will certainly amount to his voluntarily giving up the membership of the political party which had set him up as a candidate for election as such member.

32. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। अतः श्री बाला प्रसाद अवस्थी को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

33. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री बाला प्रसाद अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक11 अगस्त, 2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री बाला प्रसाद अवस्थी के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह माने जायेंगे, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

34. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा–2 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता–(1) पैरा–4 और पैरा–5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें –

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख).....

चूंकि श्री बाला प्रसाद अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः श्री बाला प्रसाद अवस्थी के सम्बन्ध में 'भारत का

संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री बाला प्रसाद अवस्थी 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेंगे जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुये।

35. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह माने जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस आशय का समाचार दिनांक12 अगस्त, 2016 को समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री बाला प्रसाद अवस्थी के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री बाला प्रसाद अवस्थी दिनांक 11 अगस्त, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री बाला प्रसाद अवस्थी, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र–144, मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र जनपद–लखीमपुर खीरी को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1) (क) के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 209(1)/वि0स0/संसदीय/109(सं)/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :––

1–महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7–प्रमुख सचिव, विधान सभा,

8–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,
9–प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
10–सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11–सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12–श्री गया चरण दिनकर, नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13–श्री अवस्थी बाला प्रसाद, बहादुर नगर, लखीमपुर,
14–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15–महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16–महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17–जिलाधिकारी, लखीमपुर,
18–विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 287 विधान सभा (459)-06-03-2017-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।